

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100880

दिनांक: 29/07/2026

लोक सूचना

श्री MS PRAVESH FINLEASE AND ESTATES PRIVATED LIMITED THROUGH SHRI ALOK KOTAHWALA पुत्र श्री HARIDAS KOTAHWALA जाति MAHAJAN निवासी 410 VINAYAK APARTMENT, SARDAR PATEL MARG C-SCHEME

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भांकरोटा कलां, साँगानेर (जयपुर)	1.) मैसर्स प्रवेश फिनलीज एण्ड एस्टेट्स प्रा.लि. जयपुर हिस्सा पूर्ण जाति (NA) रजि. ऑफिस रांका हाऊस सोनी हॉस्पिटल के सामने जयपुर हाल ऑफिस कोटावाला मार्केट त्रिपोलिया बाजार जयपुर खातेदार	3148/1216	0.33	0.33
2.	हसमपुरा वास भांकरोटा, साँगानेर (जयपुर)	1.) मैसर्स प्रवेश फिनलीज एण्ड एस्टेट्स प्रा. लि.रजि.ऑफिस रांका हाऊस सोनी हॉस्पिटल के सामने जवाहरलाल नहेरु मार्ग जयपुर शरद बोथरा हिस्सा पूर्ण खातेदार	318	0.04	0.04
3.	हसमपुरा वास भांकरोटा, साँगानेर (जयपुर)	1.) मैसर्स प्रवेश फिनलीज एण्ड एस्टेट्स प्रा. लि.रजि.ऑफिस रांका हाऊस सोनी हॉस्पिटल के सामने जवाहरलाल नहेरु मार्ग जयपुर शरद बोथरा हिस्सा पूर्ण	319	0.03	0.03

		खातेदार			
					कुल 0.4

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **29-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & MAHANAGAR TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर